



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1214]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2019/फाल्गुन 23 1940
No. 1214]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2019/PHALGUNA 23, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2019

का. आ. 1359(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार परिषद की सिफारिश पर एतद्वारा नई दिल्ली में माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (जीस्टैट) की राष्ट्रीय पीठ के सृजन को इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी बनाते हुए अधिसूचित करती है।

[सं. 1/2019, (फा.सं. ए- 50050/99/2018-प्रशा.-1ग (सीस्टैट))]

ऋत्विक् पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2019

S.O. 1359(E).—In exercise of the powers conferred by the section 109 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, the Central Government, on the recommendation of the Council, hereby notifies the creation of the National Bench of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT) at New Delhi, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India (Extraordinary).

[No. 1/2019, [F. No. A.50050/99/2018-Ad.1C(CESTAT)]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.